हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर) प्यारेलाल बनाम कुमिदारी हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहवाल हुक्म में
23.10.2023	प्रा० पत्र पत्थरगढ़ी प्रो० नं. - 25/2023 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी नें आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 23/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
99 / 2023	2023 / 805	04.07.2023	23.10.2023

उनवान प्रकरण

1. ग्यारसीलाल पुत्र भूदा उम्र 66 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रार्थी—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—अप्रार्थी—

2. रिछपाल पुत्र भूदा उम्र 63 वर्ष
3. बंशी पुत्र भूदा उम्र 60 वर्ष

समस्त जाति माली निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

– तरतीबी अप्रार्थीगण–

उपस्थित :–

श्री विकम सिंह बांकावत, एड0 अभिभाषक वकील प्रार्थी ।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर – अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3323 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 3324 रकबा 0.18 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। जिसके 3/4 हिस्से के प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर/अप्रार्थी संख्या–1 के आदेश कमांक/एल0आर0/73 पृ.सं. दिनांक 21.06.2022 की पालना में पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के द्वारा विधिवत रूपेण दिनांक 23.06.2023 को किया जा चुका हैं। फर्द सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न है। प्रार्थी की उक्त भूमि पर पत्थरगढी के अभाव में आये दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है तथा हमेशा काश्त के समय उक्त भूमि की पत्थरगढी नही होने का नाजायज एवं अवैध फायदा उठाकर विवाद की स्थिति उत्पन्न की जाती है। इसलिए उक्त विवाद के स्थाई निदान तथा वाद बाहुल्यता को रोकने के लिये उक्त भूमी की पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3323 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 3324 रकबा 0.18 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला [illegible]0 की पत्थरगढी फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.06.202[illegible] के अनुसार [illegible] आदेश भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर आदेश दिये जाने [illegible] पत्र में किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये दो माह से भी अधिक का समय हो जाने के बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 व तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी ने अप्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 73 पृ0स0 28 दिनांक 21.06.2022 की पालना में ग्राम दिवराला के भूमि खसरा संख्या 3323 रकबा 0.39 हैक्टर 3324 रकबा 0.18 हैक्टर कृषि भूमि के सीमाज्ञान हेतू मौके पर पहुंचा। सभी खातेदारान मौके पर उपस्थित आये। मौके पर खसरा संख्या 3327 किस्म गै0मु0 चाह एवं खसरा संख्या 3354 किस्म गै0मु0.चाह से पोईन्ट लेकर के भूमि खसरा नम्बर 3323 एवं 3324 का सीमाज्ञान किया गया एवं उक्त सीमाज्ञान की जानकारी उपस्थित खातेदारान की को दी गई।

प्रकरण में भूमिधारी उप तहसीलदार, अजीतगढ श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर [illegible]। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

कृषि भूमि खसरा नंबर 3323 रकबा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 3324 रकबा 0.18 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का दिवराला के द्वारा दिनांक 23.06.2022 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.06..2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 73 पृष्ठ संख्या 28 दिनांक 21.06.2022 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का दिवराला के द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का दिवराला द्वारा दिनांक 23.06.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक ग्राम दिवराला के भूमि खसरा संख्या 3323 रकबा 0.39 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 3324 रकबा 0.18 हैक्टर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का चीपलाटा द्वारा दिनांक 21.06.2021 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/10/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:24 IST
Reason: SelfAttested